निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 01/2024(रे0वाद)
दायर दिनांक – 02/01/2024
निर्णय दिनांक – 22/01/2025

अनवान

1. मोहनलाल पिता जयकिशन जाति सुथार निवासी मोयणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. त्रिलोक पिता जयकिशन जाति सुथार निवासी मोयणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. रामलाल पिता जयकिशन जाति सुथार निवासी मोयणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

वादी

बनाम

1. कुन्दनमल पिता मन्दरूप जाति सुथार निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. शांतिलाल पिता मांगीलाल जाति सुथार निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. माधुलाल पिता मांगीलाल जाति सुथार निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
4. हगामी देवी पत्नी मन्दरूप जाति सुथार निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
5. लहरी देवी पुत्री हगामी लाल जाति सुथार निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
6. बाबुलाल पिता मन्दरूप जाति सुथार निवासी बगतपुरा तहसील देवगढत्र जिला राजसमन्द।
7. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
01 से लगायत 06 प्रतिवादी की ओर से– श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धरा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम मोयणा पटवार हल्का जीरण भू–अभिलेख क्षेत्र कुंवाथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में पुराने आराजी नं. 217/3 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 218/3 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 219/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 4 बीघा 2 विस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में मंदरुप पुत्र वरदा के

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ (राज.) जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

नाम दर्ज थी जिसके नवीन आराजी नम्बर 277 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 280 रकबा 0.5400 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8900 हैक्टेयर भूमि है। सम्वत् 2076 की जमाबन्दी में भी उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मंदरुप पिता वरदा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मंदरुप पिता वरदा के नाम दर्ज है परन्तु मौके पर आपसी ईकरारनामा अनुसार (भाई बंटवारा) अनुसार वादीगणगण काबिज काश्त है तथा उक्त वर्णित भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। दिनांक 05.01.2015 को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 के पिता व प्रतिवादीगण संख्या 06 के मध्य एक ईकरारनामा आपसी राजीनामा बाबत् लिखा गया जिसमें ग्राम मोयणा के वर्तमान खाता संख्या 50 की भूमि वादीगण के कब्जे में होने से वादीगण के हिस्से में रखी गयी। राजस्व ग्राम मोयणा पटवार हल्का जीरण भू–अभिलेख क्षेत्र कुंवाथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में पुराने आराजी नं. 217/3 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर 218/3 रकबा 12 विस्वा, खसरा नं. 219/3 रकबा ढाई बीघा जिस पर वादीगण का कब्जा हैं को प्रतिवादीगण ईकरारनामा अनुसार प्रथम पक्षकार ने जो जमीन प्रतिवादीगण के पिता मनरूप जी सुथार के नाम पर दर्ज थी को कुलिया जमीन व चाह नं. 95 की विक्रय की रजिस्ट्री वादीगण के नाम पर कराना तय किया था। ईकरारनामा दिनांक 05.01.2015 की प्रति वादपत्र के साथ सलग्नं है। वाद पत्र की कलम सं. 1 में वर्णित भूमि वादीगण की कब्जे कास्त एंव स्वामित्व की हैं वादीगण का लगातार उक्त वर्णित भूमि पर कब्जा चला आ रहा हैं एंव वादीगण ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं एंव वर्तमान में भी उक्त भूमि पर वादीगण ही काबिज कास्त है तथा उक्त भूमि वादीगण के उपयोग उपभोग में चली आई हैं उक्त भूमि पर वादीगण ने लाखो रूपये खर्च करके उसको विकसित व कास्त योग्य बनाया हैं। वाद पत्र की कलम सं. 1 में वर्णित भूमि पर वादीगण का लगातार कब्जा चला आया है एंव उक्त भूमि का वादीगण द्वारा निंविवाद रूप से उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं तथा उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता मंदरूप जी सुथार के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज थी परन्तु आपसी भाई बंटवारे में उक्त भूमि वादीगण के हिस्से में आई तब से ही वादीगण उक्त

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

भूमि पर लगातार कब्जा काश्त होकर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे हैं तथा उक्त भूमि वादीगण के कब्जे कास्त में है और भूमि के चारो तरफ कांटो की बाड़ लगा रखी है।

उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा निरन्तर चला आ रहा हैं और वर्तमान में भी वादीगण का ही मोके पर कब्जा हैं और वादीगण द्वारा ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं उक्त भूमि में वादीगण के हक निहित हैं परन्तु प्रतिवादीगण जो कि अपने द्वारा निष्पादित ईकरारनामा की पालना नहीं कर वादीगण के पक्ष में उक्त वर्णित भूमि की रजिस्ट्री नहीं करा ईकरारनामें में वर्णित शर्तों की अवहेलना कर रहे हैं तथा उक्त भूमि को अन्य व्यक्ति को बेचान करने पर उतारू हैं जिस कारण प्रतिवादीगण वादीगण को उसके कब्जे से बेदखल कर सकते है भूमि वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण को कई प्रकार की परेशानीयो का सामना करना पड़ता हैं। वादीगण का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा होकर उपयोग उपभोग चला आया हैं परन्तु प्रतिवादीगण के पिता के नाम उक्त भूमि दर्ज होने से वादीगण को राजस्व संबधी कार्य निष्पादन में भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित ईकरारनामा अनुसार प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित भूमि का रजिस्टर्ड विकय पत्र अनुसार बिना कोई प्रतिफल राशि प्राप्त किये रजिस्टर्ड विकय पत्र वादीगण के पक्ष में निष्पादित करा उक्त वर्णित भूमि वादीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज करानी थी परन्तु अब प्रतिवादीगण ऐसा नहीं कर नाजायज लाभकमाने की नियत से उक्त भूमि को अन्यत्र बेचान कर देना चाहते हैं जिससे कि वादीगण के सारे हक अधिकार समाप्त हो जायेगे तथा वादीगण सदैव के लिये अपने हक अधिकारों से महरूम हो जायेगा जिससे वादीगण को भारी आर्थिक क्षति होगी। वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज हैं इसलिये प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे में बाधा उत्पन्न नहीं करे। वादीगण को उसके कब्जा काश्त से बेदखल नही करे इसके लिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। कलम सं. 1 में वर्णित भूमि का रिकार्ड प्राप्त किया तो जानकारी हुई की उक्त भूमि का वादीगण बतौर खातेदार दर्ज नही हैं जबकि वर्तमान में उक्त भूमि

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

वादीगण के पजेशन में होकर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग वादीगण कर रहा हैं उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड वर्तमान चालु जमाबन्दी में वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने व उक्त वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज होने से वादीगण को कई प्रकार की सरकारी व गैर सरकारी काम काज में परेशानीयो का सामना करना पड़ता है। उक्त भूमि जिस पर वादीगण काबिज कास्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं पर वादीगण द्वारा लाखो रूपये खर्च कर उक्त भूमि को कास्त योग्य बनाया हैं एंव आज दिन तक उक्त भूमि पर वादीगण का आपसी भाई बंट से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पिता मन्दरूप जी सुथार के नाम दर्ज होने से तथा आपसी भाईबंट में वादीगण के हिस्से में उक्त भूमि होने से वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा एक ईकरारनामा निष्पादित कर दिया गया कि पैरा सं. 01 में वर्णित भूमि को प्रतिवादीगण वादीगण के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अनुसार वादीगण के खाते दर्ज कराया जावेगा परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है इसलिये राजस्व रेकार्ड में दर्ज मंदरूप पिता वरदा का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश प्रदान करावें एंव इसी आशय की घोषणात्मक डिकी जारी फरमाई जावें। वाद हेतुक प्रतिवादीगण द्वारा निष्पादित ईकरारनामा की पालना कराने हेतु वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार सूचित करने के बावजूद भी प्रतिवादीगण द्वारा ईकरारनामा की पालना नहीं करने व भूमि अन्यत्र को बेचान करने पर उतारू होने से उत्पन्न होकर लगातार जारी है। पक्षकारान न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार के निवासी होने से एंव कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम मोयणा तहसील देवगढ़ में स्थित होने से एंव वाद हेतुक भी यही उत्पन्न होने से वाद की सुनवाई अधिकारिता आप न्यायालय को प्राप्त है। वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिये वाद मूल्यांकन 10,000-- रूपये कायम किया जाकर निश्चित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री प्रचलित फरमाई जावे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर घोषणात्मक डिक्री प्रचलित फरमाई जावे की वाद पत्र की कलम सं. 1 में वर्णित

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

भूमि जिस पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में आपसी ईकरारनामा अनुसार व कब्जेनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज मंदरूप पिता वरदा का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश प्रदान करावें व वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें एंव उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के पश्चात् तरमीम की विधि सम्मत कार्यवाही कराने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 द्वारा अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दिवानी एव सहपठित धारा जाप्ता दिवानी पेश किया जो निम्नानुसार है। प्रकरण में वादी ने झुठे एवं गलत तथ्यो के आधार पर एक वाद पत्र घोषणा व निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है उक्त वाद पत्र बिना वाद हेतुक का होकर विधि विरूद्ध वाद है वाद प्रारम्भ से ही काबिल निरस्ती योग्य है। वादी ने एक वाद माननीय न्यायालय में एक वाद एक ईकरारनामा भाई बंटवाडा के अनुसार भूमि में खातेदारी दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है तथाकथित ईकरारनामा कि पालना यहा संविदा कि पालना के वाद लनच सिविल न्यायालय के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं माननीय न्यायालय आप में हक्त वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कि प्रकृति के होने से विधि विरूद्ध दान होकर न्यायिक क्षेत्राधिकारीता से बाधित है । उक्त प्रार्थी मोहन लाल आदी ने माननीय न्याय़ालय में सम्पूर्ण तथ्य छिपाते हुये उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर स्थग्न लिया है माननीय न्यायालय आप में उक्त भूमि सम्बधी एक वाद सहायक कलेक्टर महोदय देवगढ में अनवान मनरूप बनाम तिलोक आदी प्रकरण संख्या 6/2010 में प्रस्तुत किया था जिसमें पक्षकारो को सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 27. 07. 2018 को बंटवाडा एवं घोषणा का डिकी किया गया। उक्त वाद में यही वाद ग्रस्त आराजियात एवं यही तथ्य थे जो माननीय न्यायालय द्वारा श्री मनरूप आदी के पक्ष में हुआ जिसकी अपील मोहन लाल, तिलोक व राम लाल ने न्यायालय भू–प्रबंधक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में अनवान तिलोक बनाम कुन्दनमल प्रकरण संख्या

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

60/2018 प्रस्तुत की उक्त अपील पर न्यायालय भू–प्रबंधक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा दिनांक 30.10.2023 को निर्णित की एवं गई एवं अपीलान्ट कि अपील सारहीन होने से खारीज की गई। उक्त पुर्व के वाद एवं अपील निर्णय कि समस्त जानकारी वर्तमान वादीगण को थी उक्त वादीगण ने न्यायालय की अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण संख्या 6505/2023 अनवान तिलोक बनाम कुन्दनमल आदी के नाम की प्रस्तुत की जिस पर अपीलान्ट् को किसी प्रकार का स्थग्न या रिलिफ प्राप्त दिनांक 24.04.2024 तक के आदेश पारीत कर जारी नही की गई। उक्त समस्त बात कि जानकारी अपीलान्ट को थी परन्तु माननीय न्यायालय आप में समस्त तथ्यो को अंधकार में रखते हुये झुठे रूप से न्यायालय को गुमराह करते हुये उक्त सारहीन वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जो वाद धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता रेस ज्युडीकेटा में आने से निरस्ती योग्य है नया वाद उक्त भुमि पर पुनः प्रस्तुत ही नही किया जा सकता क्योकि मुल वाद विचाराधिन है यदि कोई वादी को तथ्ये नये उत्पन्न होने पर प्रस्तुत करने थे तो वह मुल वाद, अपील, राजस्व बोर्ड अपील में प्रस्तुत कर सकते थे। उक्त तथ्यो पर नया वाद विधि द्वारा वर्जित है। वादी माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिये अंधकार में रख झुठे तथ्यो के आधार पर एक कहानी बना एक तथा कथित एक ईकरानामे को जो अपरिपक्व है उस पर खातेदारी अधिकारी अधुरी ईबारत के आधार पर चाहता है एवं उक्त ईबारत के आधार पर गलत तथ्य प्रस्तुत कर आपसी ईकरारनामा व कब्जे अनुसार खातेदारी प्राप्त नही कर सकता। जो प्रारम्भ से ही वाद काबिल निरस्ती योग्य है। आदेश 7 नियम 11 के तहत उक्त वाद विधि विरूद्ध, बिना हेतुक; बिना प्रक्रिया का होने से निरस्ती योग्य है। अन्य निवेदन वक्त बहस अर्ज कियो जायेगे। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एव सहपठीत धारा 151 के तहत स्वीकार फरमाकर वादी का वाद निरस्त फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ ● जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एव सहपठीत धारा 151 जा0 दी0 का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया गया।

वादी द्वारा सफाई पूर्वक एवं वाद पत्र के अभिकथनों की चतुराई पूर्वक प्रारूपीकरण करके वाद हेतुक को जानबूझकर प्रस्तुत करते हुए यह वाद प्रस्तुत किया प्रतीत होता है। उक्त विधिक प्रावधान व न्यायिक दृष्टांत इसकी अनुमति नहीं देते है। सिविल प्रकिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–ए इस तथ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित करता है।

(1) माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनवान **G.Subramani vs V.Rajasekaran and Anr** में दिनांक 20.06.2013 को दिये गये निर्णय में सिविलि प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 07 नियम 11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित (**Barred by law**) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> What Section 11 of the Code of Civil Procedure says is that a question, which has been substantially and directly raised as an issue in a previously decided suit, shall not be tried by the Court dealing with the subsequent suit. So, the said provision can be interpreted to mean that such a suit can be dismissed on the ground of bar of res judicata and it cannot be stretched too much to say that the bar of res judicata shall be the ground for rejection of the plaint. The question of res judicata shall be a mixed question of law and fact. It has got to be raised and decided. A plaint can be rejected based on the pleadings made in the plaint and the documents produced along with the plaint. A plaint cannot be rejected based on the defence statement of the defendant made in the written statement or any

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

averment made in the affidavit filed in support of the application filed under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure.

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस जाहिर किया वादग्रस्त आराजीयात पर मौके पर 1/3 हिस्से पर वादीगण काबिज है। तथा वादी द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रतिवादी ने दौराने बहस जाहिर किया वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित प्रकरण संख्या 60/2018 माननीय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में अपील प्रस्तुत की गई एवं वादीगण की अपील सारहीन होने से खारिज की गई। उक्त वाद रेस ज्युडिकेटा में आने से निरस्ती योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एव सहपठीत धारा 151 जा0 दी0 को स्वीकार किए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता वादपत्र को नामंजूर किए जाने का संदर्भवश निम्न दशाओ को उपबंधित करता हैं :–

1. Rejection of plaint.— The plaint shall be rejected in the following cases:—

(a) where it does not disclose a cause of action;

(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;

1 [(e) where it is not filed in duplicate;]

2[(f) where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9:]

सिविल प्रकिया संहिता की धारा 11 के अनुसारः–

कोई भी न्यायालय ऐसे किसी वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक विषय उन्हीं पक्षकारों के बीच या उन पक्षकारों के बीच, जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, और जो उसी शीर्षक के अधीन मुकदमा कर रहे हैं, किसी पूर्व वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक रहा हो, ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का विचारण करने में सक्षम न्यायालय में, जिसमें ऐसा विवाद्यक विषय बाद में उठाया गया हो और जिस पर ऐसे न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई हो और अंतिम रूप से निर्णय दिया गया हो।

स्पष्टीकरण 1.– पूर्ववर्ती वाद से ऐसा वाद अभिप्रेत होगा जो प्रश्नगत वाद से पूर्व विनिश्चित हो चुका है, चाहे वह उससे पूर्व संस्थित किया गया हो या नहीं

स्पष्टीकरण 2.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी न्यायालय की सक्षमता का निर्धारण ऐसे न्यायालय के निर्णय से अपील के अधिकार के बारे में किसी उपबंध पर ध्यान दिए बिना किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 03– उपर्युक्त संदर्भित विषय पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा आरोपित किया गया होगा और दूसरे पक्षकार द्वारा स्पष्टतः या अंतर्निहित रूप से अस्वीकार किया गया होगा या स्वीकार किया गया होगा।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

स्पष्टीकरण 04– कोई मामला जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में बचाव या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक मामला समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 05–वादपत्र में दावा किया गया कोई अनुतोष, जो डिक्री द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अस्वीकार किया गया समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 06– जहां व्यक्ति किसी लोक अधिकार या निजी अधिकार के संबंध में, जिसका दावा स्वयं और अन्य लोगों के लिए साझा रूप से किया गया हो, सद्भावपूर्वक मुकदमा करते हैं, वहां ऐसे अधिकार में हितबद्ध सभी व्यक्तियों के बारे में, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वे ऐसे मुकदमा करने वाले व्यक्तियों के अधीन दावा करते हैं।

स्पष्टीकरण 07 – इस धारा के उपबंध किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही को लागू होंगे और इस धारा में किसी वाद, विवाद्यक या पूर्व वाद के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः डिक्री के निष्पादन के लिए कार्यवाही, ऐसी कार्यवाही में उठने वाले प्रश्न और उस डिक्री के निष्पादन के लिए पूर्व कार्यवाही के प्रति निर्देश हैं।

स्पष्टीकरण 08–कोई मुद्दा, जो सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुना गया है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया गया है, जो ऐसे मुद्दे पर निर्णय करने में सक्षम है, किसी पश्चातवर्ती वाद में प्रॉस ज्यूडिकेटा के रूप में प्रवृत्त होगा, भले ही सीमित अधिकारिता वाला ऐसा न्यायालय ऐसे पश्चातवर्ती वाद या उस वाद पर विचारण करने में सक्षम न हो, जिसमें ऐसा मुद्दा पश्चातवर्ती उठाया गया हो।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

अधिवक्ता वादी ने वाद हेतुक के न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद हेतुक स्पष्ट होने के साथ–साथ वादी के अनुतोष का वैध आधार तत्व होना चाहिए।

अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के तहत वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–डी विधि द्वारा वर्जित होने के आधार प्रतीत होने तथा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–ए के तहत वादीगण पर बिना वाद हेतुक उत्पन्न हुए दावा प्रस्तुत करने का आक्षेप प्रथम दृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होने के आधार पर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–ए तथा डी के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–ए तथा डी के अनुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द
देवगढ़ जिला राजसमन्द

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 01/2024

अनवान

1. मोहनलाल पिता जयकिशन जाति सुथार निवासी मोयणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
2. त्रिलोक पिता जयकिशन जाति सुथार निवासी मोयणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3. रामलाल पिता जयकिशन जाति सुथार निवासी मोयणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

वादी

बनाम

1 कुन्दनमल पिता मन्दरूप जाति सुथार निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2 शांतिलाल पिता मांगीलाल जाति सुथार निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
3 माधुलाल पिता मांगीलाल जाति सुथार निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
4 हगामी देवी पत्नी मन्दरूप जाति सुथार निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
5 लहरी देवी पुत्री हगामी लाल जाति सुथार निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।
6 बाबुलाल पिता मन्दरूप जाति सुथार निवासी बगतपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द।
7 राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता
01 से लगायत 06 प्रतिवादी की ओर से– श्री गोविन्द कंसारा, अधिवक्ता

में इस आशय मे दिनांक 22/01/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का **प्रतिवादी का**

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–ए तथा डी के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 के क्लॉज–ए तथा डी के अनुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/01/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला-राजसमन्द
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द